तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
03-12-24	पत्रावली पेश हुई निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया निर्णय प्रति तहसीलदार अलवर को पालनार्थ भिजवाई जाकर बाद तकमील पत्रावली नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर होवे। उपखण्ड अधिकारी अलवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर, जिला अलवर
पीठासीन अधिकारी – श्री प्रतीक जुईकर (आई.ए.एस.)

दावा संख्या 1/17 | तारीख दायर 18.01.2021 | अन्तिम निर्णय 03-12-2024

बउनवान

1–कुरशेद खां पुत्र फजरू खान उम्र 50 वर्ष जाति मेव निवासी ग्राम दोहडा तहसील किशनगढ़बास हाल ग्राम रायसीस तहसील व जिला अलवर राज०

वादी

बनाम,

1–शांति देवी पत्नी सुधराम उम्र 75 वर्ष जाति नाई
2–सोनू पुत्र सुधाराम उम्र 39 वर्ष जाति नाई
3–पूरण पुत्र सुधाराम उम्र 47 वर्ष जाति नाई
4–सुरेश पुत्र सुधाराम उम्र 49 वर्ष जाति नाई निवासीयान ग्राम नंगला समावदी सब तहसील बहादुरपुर तहसील व जिला अलवर राज०
5–ममता पुत्री सुधाराम पत्नि गोविन्द सैन उम्र 38 वर्ष जाति नाई निवासी गढी भीतर समूची तहसील कठूमर जिला अलवर
6–अन्जू पुत्री सुधाराम पत्नि निरंजनलाल उम्र करीब 40 साल जाति नाई निवासी ग्राम समूची तहसील कठूमर जिला अलवर राज०
7–बंशीराम पुत्र हीरा उम्र 64 साल जाति नाई निवासी नंगला समावदी उप तहसील बहादुरपुर तहसील व जिला अलवर राज०
8–नितिन पुत्र दयाराम अग्रवाल जाति महाजन निवासी प्लॉट नंबर 10, लखण्डावाला कुंआ, पुराना पावर हाउस के पीछे, अलवर राज०
9–राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अलवर जिला अलवर राज०
10–संजय सिंह नरूका पुत्र श्री भवानी सिंह नरूका निवासी 4 घ 36 प्रताप नगर, हाउसिंग बोर्ड, अलवर

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अन्तिम निर्णय

वाद वादी इस प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है कि वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 509 रकबा 0.07 हैक्टर ग्राम रायसीस तहसील व जिला अलवर में स्थित है, जो आराजी इस वादपत्र में विवादित है जिसे आगे वादपत्र में विवादित आराजी के नाम से संबोधित किया जा रहा है विवादित आराजी में प्रतिवादी सं. 1 ला. 7 का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 8 का 4/5 हिस्सा है जिसके वो खातेदार काश्तकार थे प्रतिवादी सं. 1 ला. 7 ने अपना 1/5 हिस्सा आराजी को जर्ये विक्रयपत्र दिनांक 24.10.2016 पंजीबद्ध दिनांक 24.10.2016 के द्वारा वादी को विक्रय कर दिया तभी से वादी अपने 1/5 हिस्से आराजी पर काबिज हो उपयोग व उपभोग कर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

रहा है। विवादित आराजी के विक्रयपत्र का इंतकाल प्रतिवादीगण की साजबाजी व पटवारी हल्का के प्रतिवादीगण के प्रभाव में होने के कारण दर्ज नहीं कर रहा है,

अतः वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी जर्ये सम्मन तलब किये गये वाद उभय पक्ष को सुनकर दिनॉक 27–08–24 को प्रारम्भिक डिकी किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 509 रकबा 0.07 हैक्टर वाके ग्राम रायसीस तहसील व जिला अलवर मे प्रतिवादी स0 1 लगायत 7 का नाम कलमजन करते हुये वादी द्वारा जर्ये बयनामा दिनॉक 24.10.2016 एंव प्रतिवादी स0 10 द्वारा जर्ये बयनामा दिनॉक 10.07.2021 के अनुसार मुताबिक बयनामा हिस्से अनुसार ग्राम रायसीस तहसील अलवर मे अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस मौके पर राजस्व रिकार्ड व हिस्से अनुसार रास्ते की सुविधा का ध्यान मे रखते हुये विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव विवादित आराजी के नक्शे मे विभाजन को प्रर्दशित करते हुये पेश करे।

तहसीलदार अलवर से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई तहसीलदार अलवर ने अपनी रिपोर्ट भू0अ0/2024/7176 दिनॉक 22–10–2024 के द्वारा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट आराजी खसरा नम्बर 509 रकबा 0.07 है0 वाके ग्राम रायसीस तहसील अलवर जिला अलवर के कम मे प्रस्तुत की गई एंव साथ ही अंकन किया है कि जमाबन्दी अनुसार ख0 न0 509 का रकबा 0.07 हैक्टर है जबकि राजस्व नक्शे एंव मौका अनुसार ख0न0 509 रकबा 0.07 है0 से अधिक है।

हमने वकुलाय की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का अवलोकन किया कुर्रेजात रिपोर्ट का अध्ययन किया प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड सही होना प्रतीत होती है लेकिन विचारणीय प्रश्न यह भी है कि नक्शे मे रकबा अधिक है परन्तु जमाबन्दी मे सही दर्ज है जिससे प्रतीत होता है कि राजस्व विभाग से कही ना कही पूर्व मे कोई उक्त आराजी बावत स्थानान्तरण/हस्तान्तरण आदि होने पर उसका अमल दरामद राजस्व रिकॉर्ड सहवन से रह गया है परन्तु तहसीलदार द्वारा सम्मन तामील उपरान्त भी न्यायालय को अवगत नही कराया नाही उक्त रिपोर्ट से कही भी यह स्पष्ट अंकन नही किया गया कि यह नक्शे मे आराजी अधिक किस त्रृटि के कारण आई है।

अतः न्यायिक सिद्वान्तो को ध्यान मे रखते हुये न्यायहित मे इस प्रकार मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार अलवर के उक्त उनवानी वाद अंतिम डिक्री किया जाना तो उचित प्रतीत होता है साथ ही न्यायहित मे यह भी आदेश दिया जाता है कि उक्त प्रकरण मे हाल/साबिक रिकॉर्ड का मिलान करते हुये प्रकरण मे विधिक प्रकिया अपनाकर नक्शे मे अधिक आराजी का भी नियमानुसार निस्तारण किया जावे/करावे।

मुताबिक तहसीलदार अलवर से प्राप्त कुरेजात (प्रस्ताव विभाजन) के आधार पर निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है कुरेजात रिपोर्ट (प्रस्ताव विभाजन) के नक्शा निर्णय का जुज माना जावेगा।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

क्र0स0	नाम काश्तकार	खसरा नम्बर मय रकबा	किस्म	तरफ/ दिशा	प्रस्तावित रंग नक्शा
01	कुरशेद खाँ पुत्र फजरू जाति मेव निवासी दोहडा तहसील किशनगढबास हाल ग्राम रायसीस तहसील अलवर खातेदार	509 मि0 रकबा 0.014 है0	चाही सोयम	दक्षिण	महरून
02	संजय सिंह नरूका पुत्र भवानीसिंह नरूका निवासी 4 घ 36 प्रताप नगर हा0बो0 अलवर खातेदार	509 मि0 रकबा 0.056 है0	चाही सोयम	उत्तर	केसरिया

अंतिम डिक्री जारी हो। तदानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

प्रतिक जुईकर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

निर्णय आज दिनांक 03 –12 –24 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

प्रतिक जुईकर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर